भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-187
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का आरक्षण

†187. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वर्तमान में रोजगाररत शिक्षण से जुड़े और शिक्षण से न जुड़े कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा विश्वविद्यालय-वार/संस्थान-वार सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान शिक्षण से जुड़े और शिक्षण से न जुड़े पदों पर की गई भर्ती का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिसमें श्रेणीवार रिक्तियां और नियुक्त कर्मचारियों की संख्या विर्निदिष्ट हो;

(ग) आरक्षण मानदंड के संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के शिक्षण से जुड़े और शिक्षण से न जुड़े कर्मचारियों के कम अनुपात के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रोफेसरों के अनुपात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (घ): शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ती हुई संख्या से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, संचालित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम

आरक्षण के प्रयोजन के लिए अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एक इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया। पहले ओबीसी के लिए आरक्षण केवल असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल उस विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरे जा सकते हैं; किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी खाली पद भर्ती के अगले चक्र में उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में तब तक पुनः विज्ञापित किया जाता रहेगा जब तक कि उसे भरा न जाए।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने दिनांक 02.05.2023 को एक एकीकृत भर्ती पोर्टल, अर्थात् सीयू-चयन का शुभारंभ किया, ताकि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों की सूची के लिए एक साझा प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जा सके। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे पूरे वर्ष अपनी वेबसाइटों पर लगातार विज्ञापन प्रकाशित करें, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्य शर्त में भी ढील दी गई है।

खुले विज्ञापन (विज्ञापनों) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं; योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भर्ती के लिए विधिवत गठित चयन समितियां, पद के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में सिफारिशें करती हैं और तदनुसार, चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता संबंधी यूजीसी विनियमन, 2018 एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया प्रदान करता है। उक्त यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में अन्य सदस्यों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, यदि इस किसी भी श्रेणी का कोई उम्मीदवार आवेदन करता है।

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2022 में शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1648 अनुसूचित जाति के पदों, 841 अनुसूचित जनजाति के पदों, 2700 ओबीसी पदों और 588 ईडब्ल्यूएस पदों सहित 12600 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरा गया है।

*****